राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 696/2012/भरतपुर.

सहायक आयुक्त, वृत–'बी', भरतपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स सिमको बिड़ला लिमिटेड, भरतपुर. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री खेमराज, अध्यक्ष

श्री के. एल.जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एन. के. बैद,

उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अलकेश शर्मा, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 02/02/2017

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स) द्वितीय, वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के डिफेक्ट अपील संख्या 18/05–06/अपील्स–।।/आरएसटी/वि.वृ.राज. में पारित किये गये आदेश दिनांक 21.09.2011 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

2. अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से प्रत्यर्थी व्यवहारी मैसर्स सिमको बिड़ला लिमिटेड, भरतपुर की अपील संख्या 18/05–06 जो राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 84(3) के तहत विवादित मांग राशि की 20 प्रतिशत राशि जमा करवाये बिना प्रस्तुत की गयी थी जो डिफेक्ट में होने पर, डिफेक्ट दूर करने के लिये सुनवाई की जाकर अपीलीय अधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया गया कि अपीलार्थी का प्रकरण वर्ष 1997–98 की अवधि से सम्बन्धित है इस कारण इस अवधि में अधिनियम की धारा 84(3) के प्रावधान वेव करने से सम्बन्धित निर्धारित है वे प्रावधान ही इस प्रकरण में लागू होते हैं एवं विभागीय प्रतिनिधि ने भी उनके समक्ष सहमति व्यक्त की थी। इस आधार पर एवं अपीलार्थी की फैक्ट्री काफी वर्षों से बन्द होने से आर्थिक हालत विकट होने के कारणों के मद्देनजर 20 प्रतिशत राशि जमा कराने की बाध्यता से मुक्ति प्रदान करते हुए अपीलार्थी की अपील को पंजीबद्ध किया गया था एवं उसकी सुनवाई दिनांक 24.10.2011 को रखी गयी थी। इस डिफेक्ट को दूर करने के लिये जो आदेश पारित किया गया है जिसमें 20 प्रतिशत राशि को वेव किये जाने का आदेश किया गया था उससे क्षुब्ध होकर अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

लगातार.....2

3. अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने बताया कि इस प्रकरण में 20 प्रतिशत की राशि जो वेव की गयी है वह विधिसम्मत नहीं है परन्तु यह भी बताया कि इस अपील का डिफेक्ट दूर करने के पश्चात् उसे पंजीबद्ध कर दिया गया था एवं उस अपील का निस्तारण भी हो चुका है।

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने भी बताया कि डिफेक्ट दूर करने के पश्चात् अपीलीय अधिकारी द्वारा इसकी सुनवाई कर इसका निस्तारण भी दिनांक 21.08.2012 को कर दिया गया है एवं विवादित कर निर्धारण आदेश दिनांक 26.07.2005 को अपास्त कर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया था। इस प्रतिप्रेषित आदेश के निर्देशानुसार पुनः दिनांक 19.08.2014 को वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–बी, भरतपुर द्वारा आदेश पारित कर दिया गया एवं मांग राशि रूपये 3,26,08,933/– सृजित कर दी गयी जिसके विरूद्ध पुनः अपील भी प्रस्तुत की गयी है। विद्वान अभिभाषक द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के पश्चात्वर्ती आदेशों की प्रतियां भी प्रस्तुत की गयी है।

5. उक्त तथ्यों के अधीन यह अपील सारहीन हो गयी है क्योंकि जो अपील माननीय राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी है वह डिफेक्ट दूर करने के सम्बन्ध में पारित आदेश के विरूद्ध थी और उसके पश्चात् उस अपील का भी निर्णय हो चुका है एवं उसकी निरन्तरता में कर निर्धारण आदेश भी पारित हो चुका है ऐसी स्थिति में अब अपील निस्तारण का कोई बिन्दु नहीं रहने से एवं सारहीन होने से खारिज की जाती है।

6. निर्णय सुनाया गया।

(के. एल.जैन)
सदस्य

(खेमराज)
अध्यक्ष